

जागरूक - डेटा क्र. 0: 48/17

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19.3.21	<p>पत्रावली पेश। वकील उमर अली अली                      री लॉ सं. 9 का नोटिस कदम दाखिल                      पाठ्य <del>पत्रिका</del> लि सत्रा नोटिस रफ. 10.10                      मही पत्र पर पेशा क (पत्र पर जारी है।                      वापसी पत्रिका दिनांक 17.5.21 से पेशा है।</p>	
17.5.21	<p>DUE TO LOCKDOWN FILE PUT                      ON DATE AT...19.7.21                      READER</p>	
19.7.21	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज                      न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व                      आदेशानुसार दिनांक.18.8.21को पेश हो।</p>	
2-8-21	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज                      न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व                      आदेशानुसार दिनांक.18.8.21को पेश हो।</p>	<p>जागरूक                      48/17                      S. Prakash</p>

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर  
 जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः  
 अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील  
 अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे  
 अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।  
 फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की  
 जाती है निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण  
 फौजदारी नुमांदा होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब  
 तकमील दाखिल दफतर हो।

406  
 प्रमुख अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर